

मु० न०:- 112/2023

तारीखरजः- 24/7/23

उनवान:- रामहरि बनाम तहसीलदार टोडाभीम वगै०
दावा बाबत घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम
24 ² / ₂₃	<p>वादी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने दावा बाबत घोषणा खातेदारी, स्थायी निषेधाज्ञा 88, 188 आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये तहसीलदार टोडाभीम एवं तहसील क्षेत्र से बाहर के रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 18.08.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(गौरव कुमार मित्तल) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p>
18 ⁸ / ₉₃	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण के नोटिस लगील डीकॉट प्राप्त नहीं हुई है। वास्तु इन्तजा नोटिस लखी दिनांक 4-9-23 को पेश हो।</p>
4 ⁹ / ₂₃	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण के पुनः नोटिस पेश करने के लिए वादी वकील को हिदायत दी गई। वास्तु लखी दिनांक 29-9-23 को पेश हो।</p>
2 ⁹ / ₂₃	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से कलक्टर स्थान रखा गया है। पत्रावली अधिकारी को पेश हो। गतानुसार दिनांक 18-11-23 को पेश हो।</p>

3095-96
24/7/23

दिनांक

1.8.25

पत्रा
भादी वकील/वकील उमय चक्षु अजिब
पितासीन अधिकारी. दे.पि./काम...
पत्रावली गतानुसार दिनांक 10/9/25
को पेज हो।

10/9/25

पत्रावली पेज डूरी/ वादी वकील को बागमपर
उल्लेख पेज कले की दिवापत डी अड्डे मुप
बागमरी वादी पेज पर वदत कले की
दिवापत डी अड्डे/ वादी वदत दिनांक
9.10.25 को पेज हो।

9.10.25

पत्रावली पेज डूरी वादी वकील को आवश्यक
दस्तावेज पेज करने की अनिष्ट दिवापत डी
गर्। एवं वदत करने की दिवापत डी गरी
वादी वदत दिनांक 11.11.25 को पेज
को हो।

11.11.25

वादी वकील
दिनांक बागम
1.12.25
उमय

पत्रावली पेज डूरी वादी वकील उपोचत।
वादी का फौत होना वदत। वादी कापत मुकाम
दिनांक 1.12.25 को पत्रावली पेज हो।

1/12

DD

पत्रावली पेज डूरी वादी एवं वादी वकील कोर उपो
नहीं कार-2 भावाप दिवापत वादी उपरान्त डी
वादी एवं वादी वकील कोर उपोचत नही डूरी
दस्तावेज डूरी वादी वकील कोर उपोचत नही डूरी
निवेदनापत वादी एवं वादी वकील कोर उपोचत नही डूरी
पेज की भरप होपिरी में शक्ति किये जाया
है। पत्रावली पेज डूरी वादी वकील कोर उपोचत नही डूरी
काम कर वादी वकील कोर उपोचत नही डूरी